कार्यालय संभागीय मुख्य वन संरक्षक, जोधपुर

क्रमांक एफ ( ) एफसीए/मुवसजो/2022/ 6241 दिनांक 10/8/22

निमित,

अति प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रोटेक्शन)
एवं नोडल अधिकारी, एफसीए, राजस्थान

विषय : Diversion of 0.175 Ha Forest land for construction of 220 KV S/C Transmission Line on D/C towers laying between proposed ABC SIPL 300 MW Solar Power Plant to PGCIL 765/400/220 KV GSS at near village Badi Seed Tehsil Baap Dist. Jodhpur Proposal No. FP/RJ/Trans/153699/2022

संदर्भ : श्रीमान का ईडीएस दिनांक 15–7–2022 एवं उप वन संरक्षक, जोधपुर का पत्रांक 3445 दिनांक 3–8–2022

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि आलौच्य प्रत्यावर्तन प्रकरण में श्रीमान के संदर्भित पत्र से अंकित ईडीएस का प्रत्युतर उप वन संरक्षक, जोधपुर ने संदर्भित पत्र से प्रेषित किया है, जो बिन्दुवार मूल ही आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

क्र स	ईडीएस	अनुपालना
1	Compete report of violation with copy of the FIR should be uploaded.	वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के उल्लंघन के संबंध में विस्तृत रिपोर्ट एवं एफआईआर की प्रति संलग्न है।
2	Provide the list of the forest officials also, who are responsible for this violation	उप वन संरक्षक, जोधपुर की तथ्यात्मक रिपोर्ट एवं क्षेत्रीय वन अधिकारी, बाप की रिपोर्ट संलग्न है। दोषी कर्मचारियों के विरूद्ध जांच प्रक्रियाधीन है। प्रारंभिक जांच उपरान्त उत्तरदायी वन कार्मिकों की सूची प्रेषित की जायेगी।

संलग्न – उक्तानुसार 2 प्रतियों में।

भवदीय

(एस. आर. वी. मूर्थी)
संभागीय मुख्य वन संरक्षक
जोधपुर

क्रमांक एफ ( ) एफसीए/मुवसजो/2022/ 6242-43 दिनांक 10/8/22

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. उप वन संरक्षक, जोधपुर।
2. प्रयोक्ता अभिकरण, एबीसी सोलर इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड, मेडता हाउस, पुलिस चौकी के सामने जालोरी गेट, जोधपुर

संभागीय मुख्य वन संरक्षक
जोधपुर

Scanned with CamScanner

आज़ादी का अमृत महोत्सव

कार्यालय उप वन संरक्षक, जोधपुर

घर-घर औषधि योजना

पुलिस कमिश्नरेट के सामने, रोटरी सर्कल के पास, जोधपुर (राज.)–342001 Email- dcf.jdpr.forest@rajasthan.gov.in

क्रमांकः एफ(143)FCA/उवस/2022/3445 दिनांकः 03.08.22

निमित्तः–संभागीय मुख्य वन संरक्षक
जोधपुर

विषयः–Construction of 220 KV S/C Transmission Line on D/C towers laying between proposed ABC SIPL 300 MW Solar Power Plant to PGCIL765/400/220 KV GSS atr near Village Badi Sird, Tehsil- Baap, District- Jodhpur (Rajasthan) Proposal No FP/RJ/TRANS/153699/2022, Area : 0.175 Hectare

संदर्भः– आन लाइन परिवेश पोर्टल आक्षेप दिनांक 18.07.2022 के क्रम में

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत एवं संदर्भित आक्षेप के क्रम में लेख है कि वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत प्रत्यावर्तन प्रस्ताव में लगे आनलाइन आक्षेप दिनांक 18.07.2022 को आप श्रीमान कार्यालय द्वारा लगाऐ गऐ आक्षेपों की पालना पूर्ति कर पुनः परिवेश पोर्टल पर फार्म अ पार्ट–2 मे ऑनलाइन अपलोड के साथ ही ऑफलाइन (हार्ड कॉपी) की 3–3 प्रति में अग्रिम कार्यवाही हेतु पुनः प्रेषित है :–

Ser No	Type of Objection	क्षेत्रीय वन अधिकारी द्वारा चाही गई सूचना/टिप्पणी
1.	Complete report of violation with copy of FIR should be uploaded	वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के उल्लंघन के संबध में विस्तृत रिपोर्ट एवं एफ.आई.आर. की प्रति संलग्न है।
2.	Provide the list of the forest official also, who are responsible for this violation.	क्षेत्रीय वन अधिकारी, बाप एवं इस कार्यालय की तथ्यात्मक रिपोर्ट संलग्न है। दोषी कर्मचारियों के विरूद्ध जॉच प्रक्रियाधीन है। प्रारंभिक जांच उपरांत उत्तरदायी वन कार्मिको की सूची प्रेषित की जायेगी।

अतः उक्त बिन्दुवार आक्षेपो की पूर्ति कर 3–3 प्रति आप श्रीमान के अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्न : उपर्युक्तानुसार

भवदीय

(अजय उचोई)
उप वन संरक्षक
जोधपुर

क्रमांकः सम/ दिनांकः

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. श्रीमान् अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी एफसीए, राजरस्थान, जयपुर।
2. क्षेत्रीय वन अधिकारी, बाप
3. Sanjay Purohit s/o Shri Nemraj Purohit, Merta House, Opposite Police Chowki, Jalori Gate, Jodhpur (Rajasthan) PIN-340 001

उप वन संरक्षक

Scanned with CamScanner

PART-II

(To be filled by the concerned Deputy Conservator of Forest)

State Serial No. of proposal : RJ-046/2022

1. Location of the project/Scheme : Rajasthan
   - (i) State / Union Territory : Rajasthan
   - (ii) District : Jodhpur
   - (iii) Forest Division : Jodhpur Territorial
   - (iv) Area of forest land proposed for diversion (in ha.) : 0.175
   - (v) Category of the Proposal: Transmission Line

2. Legal status of forest land proposed for diversion :

S. No.	Division	Forest Lahd(ha.)	Legal Status
1	Jodhpur Territorial	0.175	Protected Forest
Total		0.175	

Division 1. : Jodhpur Territorial

3. District wise area to be diverted in the division :

S. No.	District	Area(ha.)
1	Jodhpur	0.175
Total		0.175

4. Details of Vegetation available in the forest land proposed for diversion :

(i) Density of vegetation

S. No.	Area(in ha.)	Density	Eco-Class
1	0.175	0.1	Eco 4
Total.	0.175		

(ii) Species-wise local/scientific names and girth-wise enumeration of trees at FRL :

S. No.	Scientific Name	Local Name	(0-30)cm.	(31-60)cm.	(61-90)cm.	(91-120)cm.	(121-150)cm.	(>150)cm.
1	Others	Vilayati Babool	5	0	0	0	0	0
Total			5	0	0	0	0	0
Sub Total (No of Trees.)			5					

5. Working plan prescription for the forest land proposed for diversion : Protected Working circle

6. Brief note on vulnerability of the forest area to erosion : NIL

7. Approximate distance of the proposed site for diversion from boundary of forest(in km.) : 0

8. Significance of the forest land proposed for diversion from wildlife point of view :

उप वन संरक्षक
जोधपुर

(i). Details of wildlife present in and around the forest land proposed for diversion : Chinkara, Blue Bull, Desert Fox, Desert Cat, Indian Fox, Some Raptiles, Variety of

Scanned with CamScanner

Falcons some Bird Species etc.

(ii). Whether forms part of national park, wildlife sanctuary, biosphere reserve,tiger reserve, elephant corridor, wildlife migration corridor etc. : No

(iii). Whether the forest land proposed for diversion is located within eco-sensitive zone(ESZ) of the Protected Area notified under Wildlife(Protection) Act,1972 (Note: In case, ESZ of a Protected Area is not notified,then,10kms distance from boundary of the Protected Area should be treated as ESZ): No

(iv). Whether any national park, wildlife sanctuary, biosphere reserve, tiger reserve, elephant corridor, wildlife migration corridor etc., is located within 1 Km. from boundary of the forest land proposed for diversion : No

(v). Whether any rare/endangered/unique species of flora and fauna found in the area : No

9.

Details of any protected archaeological/heritage site/defence establishment or any other important monument located in the area, if any :

(i). Whether any protected archaeological/heritage site/defence establishment or any other important monument is located in the area : No

10. Comment as to the reasonability of the extent of the forest land proposed for diversion :

(i). Whether the requirement of forest land as proposed by the user agency is unavoidable and bare minimum for the project : Yes

11. Details of violation(s), if any ,committed :

(i). Whether any work in violation of the Act or guidelines issued under the Act has been carried out : Yes

(a)Details of violation(s): It has been found that the user agency has complet

(b) Period of Work done(year) : 2022

(c) Area of forest land involved in violation (in ha.) : 0.175

S. No.	Name of person responsible for violation	Designation & Address of person responsible for violation	Action taken against the person responsible for violation
1	Sanjay Purohit	Authorised Signatory ABC SOLAR INDIA PRIVATE LIMITED	FOREST FIR under Section of FRA Rules has been registered against the company

12. Whether work in violation is still in progres(Yes/No) : No

13. Details of compensatory afforestation scheme :

(i). Patch wise details for Degraded Area (To be earmarked by DFO)

(i). Total Financial Outlay for C.A(lacs): 1.78

Patch Wise Details						
S.no	Patch No.	Area(ha.)	Name of PF/RF	Range	Compartment No	Uploaded KML file of patch
1	1	0.5	PF	MANDOR	LOXWELL NURSERY	View file

(ii). Copy of CA scheme details:

(iii). Scanned copy of the Geo-referenced map of the forest land proposed for C.A. prepared by using DGPS or Total Station:

Map

(iv). Copy of Survey of India Toposheet indicating boundary of forest land proposed for C.A.: Map

उप वन संरक्षक
जोधपुर

Scanned with CamScanner

(V). Copy of NOC from Competent Authority :

Additional Information Details :

S. No.	Documents	Remarks
1		FCA 1980 Violation amount letter
2		CA OUTLEY LETTER
3		DETAILED ESTIMATE OF CA
4		GT SHEET CA DFL
5		LAND SUITABILITY CERITIFICATE
6		MEDICINAL PLANT AMOUNT LETTER
7		NH NOTIFICATION
8		TREE COUNTING LETTER
9		SCHEME FOR CA
10		YEARWISE MEDICINAL PLANT
11		DETAILED ESTIMATE OF MEDICINAL PLANT
12		NPV Letter
13		LOCATION MAP
14		FIR Copy
15		User Agency Violation Undertaking
16		RO Baap Reply on EDS
17		DGPS MAP FOR CA DFL
18		DCF Jodhpur reply on EDS

14. District Profile :

S.no	District Name	Geographical area of the district (in ha.)	Forest area of the district (in ha.)	Total forest area diverted since 1980 (in ha.)	No. of Approved Cases	Forest Land including penal C.A. (in ha.)	Progress of compensatory afforestation as on(date)	A) Forest land (in ha.)	B) Non-forest land (in ha.)
1	Jodhpur	2285000	23828.15	260.9542	43	308.82	16/06/2022	308.82	66.09

15. Site inspection report of the DFO/CCF/Nodal Officer highlighting important facts pertaining to the forest land :

Division Name	Circle	Site inspected By	Whether site inspected	No. of times site visited	Site inspection report	Date of visit
Jodhpur Territorial	Jodhpur	DFO	Yes	One		07/06/2022

(Specific recommendation of the DFO/CCF/Nodal Officer with(Part II,III & Part IV))

16. Specific recommendation of the DFO/CCF/Nodal Officer for acceptance or otherwise of the proposal with reason :

Division	Circle	Recommendation By	Recommendation	Reason	Letter	Whether CF agreed
Jodhpur	Jodhpur	DFO	Recommended	Viewing at the		

उप वन संरक्षक
जोधपुर

Scanned with CamScanner

Territorial				Importance of Project, This proposal is RECOMMENDED FOR ACCEPTANCE with penal provision as per rule.		
	Jodhpur	CF	Recommended	THE PENALTY IS BEING IMPOSED AGAINST UA FOR VIOLATION UNDER 1980 SINCE THEY HAVE STARTED THE WORK WITHOUT PRIOR PERMISSION HENCE IT IS RECOMMENDED THE PROPOSAL FOR ACCEPTANCE IN PUBLIC INTEREST WITH REFERENCE OF ABOVE CONDITION	₹	Yes

Print page

उप वन संरक्षक
जोधपुर

Scanned with CamScanner

Project Name : Diversion of 0.1750 ha. Forest Land for Construction of 220kV S/C Transmission line on D/C towers laying between proposed ABCSIPL 300MW Solar Power Plant to PGCIL 765/400/220kV GSS at Near Village - Badi Sird, Tehsil-BAP, District – Jodhpur in the State of Rajasthan ((Total Length 11.540 km)

Proposal No. : FP/RJ/TRANS/153699/2022

Category of the Project: Transmission Line

Area of forest land proposed for diversion (in ha.): 0.1750 Ha.

वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत उल्लंघन की तथ्यात्मक रिपोर्ट

प्रयोक्ता अभिकरण, ए.बी.सी. सोलर (इण्डिया) प्रा. लि. हाऊस नम्बर 6–3–680/813, प्लॉट नं. 03, द्वितीय तल, पी.एम.आर. प्लाजा, ठाकुर मैन्सन लेन, सोमजीगुढ़ा, हैदराबाद द्वारा ए.बी.सी. सोलर (इण्डिया) प्रा. लि. के 300 मेघावाट सोलर प्लान्ट से निर्मित विद्युत को पॉवर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि. के 765/400/220 के.वी. ग्रिड सब स्टेशन तक पहुचाने के लिए 220 के.वी एस/सी विद्युत लाईन के लिए वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रस्ताव वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार के विभागीय पोर्टल के माध्यम से जरिये प्रस्ताव संख्या FP/RJ/TRANS/153699/2022 के प्रेषित किये गये है।

चूंकि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित सोलर प्लान्ट एवं प्रस्तावित सम्पूर्ण विद्युत लाईन गैर वन भूमि पर प्रस्तावित की गयी है एवं कोई भी टॉवर लोकेशन वन भूमि में नही आ रही है परन्तु पॉवर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि. के ग्रिड सब स्टेशन एवं 300 मेघावाट सोलर प्लान्ट के मध्य से राष्ट्रीय राजमार्ग (एन.एच.11) गुजर रहा है एवं उक्त राजमार्ग को रक्षित वन पट्टी घोषित किया हुआ है।

अतः राष्ट्रीय राजमार्ग को क्रॉस किये बिना पारेक्षण लाईन का कार्य किया जाना सम्भव नही है। अतः प्रस्तावित विद्युत लाईन के राष्ट्रीय राजमार्ग से गुजरने के कारण वन भूमि प्रत्यावर्तन आवश्यक है एवं वांछित वन भूमि न्यूनतम है। वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रस्ताव प्रेषित करने के उपरान्त प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन भूमि से तार खींचने का कार्य किया गया है जो कि वन संरक्षण अधिनियम 1980 के उल्लंघन की श्रेणी में आता है।

राज्य में बिजली संकट एवं राजहित को मध्यनजर रखते हुए क्षैत्रीय वन अधिकारी बाप से स्पष्टिकरण मांग कर दोषी अधिकारियों के खिलाफ नियमानुसार जाँच कर जानकारी उपलब्ध करवाने हेतु निर्देशित किया गया है तथा क्षेत्रीय वन अधिकारी बाप द्वारा राजस्थान वन अधिनियम 1953 के तहत एफ. आई.आर. संख्या 12/76 दिनांक 28.05.2022 दर्ज की गयी है, द्वारा विभागीय रवाना संख्या 17/58 दिनांक 28.05.2022 के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से राशि रूपये 75000/– (अक्षरे पचहत्तर हजार रूपये) का जुर्माना किया गया एवं उक्त जुर्माना राशि प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त कर ली गई है तथा विभाग मद में ई–चालान द्वारा जमा कर दी गई है, जिसकी प्राप्ति ई–चालान रसीद संलग्न है । इसके अतिरिक्त प्रयोक्ता अभिकरण को भविष्य में इस प्रकार का बिना सक्षम स्तर की स्वीकृति के कोई भी गैरवानिकी कार्य न करने के लिए निर्देशित किया गया है एवं इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र भी प्राप्त कर लिया गया है (संलग्न)।

कृ.पृ.उ.

उप वन संरक्षक
जोधपुर

Scanned with CamScanner

आज़ादी का अमृत महोत्सव

कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी बाप

घर-घर औषधि योजना

(NH11 मालियों का बास , ई-मेल: rfobaap@gmail.com)

क्रमांक / 2022-23 / 264 दिनांक : 28/07/22

प्रेषित –

श्रीमान उप वन संरक्षक
जोधपुर

विषय :-तथ्यात्मक रिपार्ट भिजवाने के क्रम में।
प्रसंग-आप कार्यालय के पत्रांक 3098 दिनांक 25.07.2022 के क्रम में।
महोदय,
उपरोक्त प्रसांगिक पत्र के क्रम में

Project Name : Diversion of 0.1750 ha. Forest Land for Construction of 220kV S/C Transmission line on D/C towers laying between proposed ABCSIPL 300MW Solar Power Plant to PGCIL 765/400/220kV GSS at Near Village - Badi Sird, Tehsil-BAP, District – Jodhpur in the State of Rajasthan ((Total Length 11.540 km)

Proposal No. : FP/RJ/TRANS/153699/2022

Category of the Project: Transmission Line

Area of forest land proposed for diversion (in ha.): 0.1750 Ha.

वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत उल्लंघन की तथ्यात्मक रिपोर्ट

ए.बी.सी. सोलर (इण्डिया) प्रा. लि. हाऊस नम्बर 6-3-680/813, प्लॉट नं. 03, द्वितीय तल, पी.एम.आर. प्लाजा, ठाकुर मैन्सन लेन, सोमजीगुढ़ा, हैदराबाद द्वारा ए.बी.सी. सोलर (इण्डिया) प्रा. लि. के 300 मेघावाट सोलर प्लान्ट से निर्मित विद्युत को पॉवर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि. के 765/400/220 के.वी. ग्रिड सब स्टेशन तक पहुचाने के लिए 220 के.वी एस/सी विद्युत लाईन के लिए वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रस्ताव वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार के विभागीय पोर्टल के माध्यम से जरिये प्रस्ताव संख्या FP/RJ/TRANS/153699/2022 के प्रेषित किये गये है ।

चूंकि कम्पनी द्वारा प्रस्तावित सोलर प्लान्ट एवं प्रस्तावित सम्पूर्ण विद्युत लाईन गैर वन भूमि पर प्रस्तावित की गयी है एवं कोई भी टॉवर लोकेशन वन भूमि में नही आ रही है परन्तु पॉवर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि. के ग्रिड सब स्टेशन एवं 300 मेघावाट सोलर प्लान्ट के मध्य से राष्ट्रीय राजमार्ग (एन.एच.15) गुजर रहा है एवं उक्त राजमार्ग के त्वॅ को रक्षित वन पट्टी घोषित किया हुआ है ।

प्रतिहस्ताक्षर
उप वन संरक्षक
जोधपुर

FCA 28/7/2022

कार्यालय उप वन संरक्षक
क्रमांक..........
दिनांक..........

क्षेत्रीय वन अधिकारी
बाप

Scanned with CamScanner

अतः बिना राष्ट्रीय राजमार्ग को कॉस किये बिना पारेक्षण लाईन का कार्य किया जाना सम्भव नही है । अतः प्रस्तावित विद्युत लाईन के राष्ट्रीय राजमार्ग से गुजरने के कारण वन भूमि प्रत्यावर्तन आवश्यक है एवं वांछित वन भूमि न्यूनतम है ।

वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रस्ताव प्रेषित करने के उपरान्त प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन भूमि से तार खींचने का कार्य किया गया है जो कि वन संरक्षण अधिनियम 1980 के उल्लंघन की श्रेणी में आता है।

राज्य में बिजली संकट एवं राजहित को मध्यनजर रखते हुए क्षैत्रीय वन अधिकारी बाप, फलौदी से स्पष्टिकरण मांग कर दोषी अधिकारियों के खिलाफ नियमानुसार जाँच कर जानकारी उपलबध करवाने हेतु निर्देशित किया गया है तथा क्षेत्रिय वन अधिकारी द्वारा राजस्थान वन अधिनियम 1953 के तहत एफ.आई.आर. संख्या 12/46 दिनांक 28.05.2022 दर्ज की गयी है तथा प्रयोक्ता अभिकरण से अक्षरे पचहत्तर हजार रूपये का जुर्माना किया गया एवं उक्त जुर्माना राशि प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त कर ली गई है जिसकी प्राप्ति रसीद संलग्न है । इसके अतिरिक्त प्रयोक्ता अभिकरण को भविष्य में इस प्रकार का बिना सक्षम स्तर की स्वीकृति के कोई भी गैरवानिकी कार्य न करने के लिए निर्देशित किया गया है एवं इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र भी प्राप्त कर लिया गया है ।

इसके अतिरिक्त सम्बन्धित वन अधिकारी से दोषी कर्मचारियों की जांच कर विवरण भिजवाने के लिए निर्देशित किया गया है एवं जांच प्रकियाधीन है । जांच सम्पूर्ण होने पर सम्बन्धित अधिकारियों के खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी ।

इस प्रकार प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा 0.1750 हैक्टेयर वन भूमि पर बिना स्वीकृति के कार्य किया गया है जिसके उल्लंघन स्वरूप वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार के दिशा–निर्देशो के अनुसार अधिरोपित होने वाली राशि का विवरण पृथक से संलग्न किया गया है ।

उक्त कार्य में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा किसी भी वृक्ष को क्षति नहीं पहुचाइ गयी है एवं वन क्षेत्र में तार खींचने के अलावा कोई भी निर्माण कार्य नही किया गया है ।

भवदीय

(जोधराज सिंह)
क्षेत्रीय वन अधिकारी
बाप

क्षेत्रिय वन अधिकारी
बाप (जोधपुर)

प्रतिहस्ताक्षर

उप वन संरक्षक
जोधपुर

Scanned with CamScanner

फार्म नं. - F. D. Form No. 8

वन विभाग, राजस्थान

First Information Report

अपराध की प्रारम्भिक सूचना

46

तृतीय प्रति

पुस्तक क्रमांक 12

पृष्ठ क्रमांक

1. तारीख रिपोर्ट 28/05/2022

2. दोषी का नाम, जाति एवं निवास स्थान प्रबंधक ABC सोलर (इण्डिया) प्रा॰लि॰ बड़ी सिड त॰ बाप

3. अपराध का विवरण बिना पूर्व अनुमति संरक्षित वन पट्टी NH 11 के ऊपर से लाईन खिंचना राज॰ वन अधि॰ 1953 की धारा 33 का उल्लंघन करना

4. घटना का स्थान

5. दिनांक अपराध करने का 28/05/2022

6. विवरण पैदावार जंगल जो पकड़ी गई व जो कार्यवाही की गई संरक्षित वन पट्टी में उल्लंघन क

7. किसकी सुपुर्दगी में रखा गया राजतहवील

8. नाम साक्षी 1. श्री कासम खां स. वनपाल

2. श्री राजूराम स. वनपाल

हस्ताक्षर रिपोर्ट कुनिन्दा

RFO

बाप

रिपोर्ट कुनिन्दा को सूचना मिलने के 24 घंटे के अन्दर यह सूचना रवाना करनी चाहिये।

प्रतिहस्ताक्षर

उप वन संरक्षक

जोधपुर

क्षेत्रीय वन अधिकारी

बाप

Scanned with CamScanner

वन विभाग (फार्म आमदनी) नं. 1 (क)

वन विभाग, राजस्थान

डिविजन

(सदर में भेजने की)

बुक नं० पेज नं०

सदर नं० सं० 205

नाका नं० बाप ता० 58 मियाद बाप से तक

नाम नाका संरक्षित स्मारक अधिनियम 1953

नाम जगह जहां से पैदावार लाई जावे ... धारा 33 का उल्लंघन करना

पैदावार कहां जावेगी ... ABC ... (इण्डिया)

मियाद प्रा० लि० ... सिंह नं० बाप जोधपुर

नाम खरीददार (ABC ... (RJ...)

सकूनत मय पता प्रा० लि०

मार्फत ... सिंह

किस्म पैदावार जुर्माना ... वसूली

तादाद 75000/- शरह ...

तादाद महसूल

रकम अंकों में

साबिक हाल मीजान

ह० इजरायकुनिन्दा

ह० व्यापारी

RO
बाप

प्रतिहस्ताक्षर

उप वन संरक्षक
जोधपुर

क्षेत्रीय वन अधिकारी
बाप

Scanned with CamScanner

e-Challan

Forest Department
Government of Rajasthan

GRN: **0064400105** Payment Date: **15/07/2022 16:07:30**

Office Name: **JODHPUR - DCF, JODHPUR**
Location: JODHPUR (CITY)
Period: 01/04/2022-To-31/03/2023

S.No	Purpose/Budget Head Name	Amount (₹)
1	0406-01-800-01-00-अर्थ दण्ड और राजसात्करण	75000.00

Commision(-): 0.00
Total/NetAmount: **75000.00**

Seventy Five Thousand Rupees and Zero Paise Only

Payee Details:

Full Name: **Dy conservator of forest Jodhpur**	Tin/Actt.No./VehicleNo./Taxid :
Pan No.(If Applicable):	City(Pincode): JODHPUR(342001)
Address:DCF JODHPUR	Remarks:Compound amount received by range BAAP FIR no 12/46 date 28-05-2020 Rawana no 17 date 06-06-2022 letter of range baap letter no SPII JODHPUR dated 11-07-2022 DD NO 002414 date 06-07-022

Payment Details: Challan No. - **3197219**

Bank:	SBI AnyWhere	Bank CIN No:	**000632622916415072022**
Date:	15/07/2022 16:07:30	Refrence No:	**15072022090229164**

Computer generated copy on : ***27/07/2022*** ***Courtsy :*** ***https://Egras.raj.nic.in***

क्षेत्रीय वन अधिकारी
बाप

प्रतिहस्ताक्षर
उप वन संरक्षक
जोधपुर

Scanned with CamScanner

ABC SOLAR (INDIA) PRIVATE LIMITED

(Formerly known as TBEA Solar (India) Private Limited)

सेवामें,

उप वन संरक्षक महोदय,
जोधपुर ।

विषय :- Diversion of 0.1750 ha. Forest Land for Construction of 220kV S/C Transmission line on D/C towers laying between proposed ABCSIPL 300MW Solar Power Plant to PGCIL 765/400/220kV GSS at Near Village - Badi Sird, Tehsil-BAP, District – Jodhpur in the State of Rajasthan ((Total Length 11.540 km)

सन्दर्भ – कार्यालय अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी एफ.सी.ए., अरण्य भवन जयपुर का ऑनलाईन EDS दिनांक 15/07/2022

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि ए.बी.सी. सोलर (इण्डिया) प्रा.लि. द्वारा राजस्व ग्राम कानसिंह जी सीढ मे 300 मेघावाट सोलर प्लान्ट स्थापित किया गया है एवं कम्पनी द्वारा उक्त सोलर प्लान्ट से निर्मित बिजली को पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि. के 765/400/220 के.वी. ग्रिड सब स्टेशन तक पहुचाने के लिए प्रस्तावित 220 के.वी. सिंगल सर्किट विद्युत लाईन का अलाईमेन्ट इस तरह से प्रस्तावित किया गया था कि प्रस्तावित लाईन में वन भूमि की आवश्यकता नही हो एवं उक्त लाईन में कोई भी टॉवर या पोल वन भूमि में नहीं आता है ।

राजस्थान में बिजली संकट बढने के कारण उक्त परियोजना को जल्द से जल्द से पूर्ण कर निर्मित विद्युत को पॉवर ग्रिड कॉर्पोरेशन आफ इण्डिया लि. के ग्रिड सब स्टेशन तक पहुचाने के लिए राज्य सरकार की तरफ से भारी दवाब था । कि उक्त परियोजना को जल्द से जल्द पुर्ण कर पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि. के 765/400/220 के.वी. ग्रिड सब स्टेशन तक पहुँचाना ताकि शहरवासियों एवं ग्रामिणवासियों को निर्बाध बिजली की आपुर्ति कि जा सके जिसके मध्यनजर उक्त 300 मेघावाट सोलर प्लान्ट एवं विद्युत लाईन का अधिकतर कार्य 20 मार्च 2022 तक पूर्ण कर लिया गया था परन्तु इस दौरान यह ज्ञात हुआ कि उक्त राष्ट्रीय राजमार्ग एन.एच.15 का आर.ओ. डब्लयु रक्षित वन क्षेत्र घोषित किया हुआ है अतः कम्पनी द्वारा तत्काल प्रभाव से वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय भारत सरकार के विभागीय पोर्टल www.parivesh.nic.in पर जरिये ऑनलाईन प्रस्ताव सं. FP/RJ/TRANS/153699/2022 से दिनांक 26 मार्च 2022 को आवेदन कर दिया गया था।

CIN: U40106TG2015PTC151041
Regd. Office: H No. 6-3-680/8/3, PNO-03, 2nd Floor, PMR Plaza, Thakur Mansion Lane, Somajiguda, Hyderabad, TG-500082
Tel.: +91 - 40 – 2341 2312/13/15 Fax: +91-40 2341 2314 Email: compliance.abc@brookfieldrenewable.in

प्रतिहस्ताक्षर
उप वन संरक्षक
जोधपुर

Scanned with CamScanner

इस दौरान साइड इंचार्ज को उक्त वन भूमि एवं वन भूमी प्रत्यार्यतन प्रस्ताव की जानकारी के अभाव में राष्ट्रीय राजमार्ग के दोनो तरफ गैर वन भूमि में स्थित दोनो टावरो/पोल्स के बीच में भी तार लगाने का कार्य दिनांक 7 अप्रेल 2022 को कर दिया गया था।

उक्त कार्य भी विभाग के अनुसार गैर वानिकी कार्य की श्रेणी में आता है । अतः इसका पता चलते ही साईट इन्चार्ज एवं सम्बधित कर्मचारियों को इस प्रकार का गैर जिम्मदारान कार्य करने हेतू सम्मन जारी किया गया एवं दोषी कर्मचारियों का पता करने के लिए जाँच जारी है एवं जाँच पुर्ण होने पर नियामानुसार कार्यवाहि कि जायेगी एवं भविष्य में बिना सक्षम स्तर की स्वीकृती के वन क्षेत्र में कोई भी गैर वानिकी कार्य नहीं किया जायेगा इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण प्रतिबध है।

अतः महोदय से निवेदन है कि बिजली संकट एवं राज्य हित को दृष्टि में रखते हुए उक्त परियोजना की स्वीकृति दिलवाने का कष्ट करे एवं राज्य सरकार या भारत सरकार द्वारा जो भी शर्ते एवं राशि अधिरोपित की जावेगी उक्त को प्रयोक्ता अभिकरण स्वीकार करेगी एवं मांगपत्र अनुसार राशि जमा की जावेगी इसमें प्रयोक्ता अभिकरण पूर्णतया सहमत है एवं वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है ।

भवदीय
ABC SOLAR (INDIA) PVT. LTD.
AUTH. SIGNATORY

(संजय राजपुरोहित)
अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
ए.बी.सी. सोलर (इण्डिया) प्रा. लि.
जोधपुर

प्रतिहस्ताक्षर
उप वन संरक्षक
जोधपुर

Scanned with CamScanner

ABC SOLAR (INDIA) PRIVATE LIMITED

(Formerly known as TBEA Solar (India) Private Limited)

Full Title of the Project: "Diversion of 0.1750 ha. forest land for Construction of 220 kV S/C Transmission line on D/C towers laying between proposed ABCSIPL 300 MW Solar Power Plant to PGCIL 765/400/220kV GSS at Near Village - Badi Sird, Tehsil-BAP, District – Jodhpur in the State of Rajasthan".

Proposal No. : FP/R J/TRANS/153699/2022

Date of Proposal : 23/03/2022

Applied Forest Area : 0.1750 hectare

UNDERTAKING TO PAY THE PENALTY AMOUNT IF IMPOSED FOR VIOLATION OF FCA,1980

I/We Sanjay Purohit, Authorized Signatory of M/s ABC SOLAR (INDIA) PRIVATE LIMITED, Jaisalmer, Rajasthan, is hereby undertakes to pay the penalty amount if imposed on User Agency for violation of Forest Conservation Act-1980 for Diversion of Forest land for "**Construction of 220 kV S/C Transmission line on D/C towers laying between proposed ABCSIPL 300 MW Solar Power Plant to PGCIL 765/400/220kV GSS at Near Village - Badi Sird, Tehsil-BAP, District – Jodhpur in the State of Rajasthan**".

ABC SOLAR (INDIA) PVT. LTD.

AUTH. SIGNATORY.

Place : Jaisalmer

Date : 25/07/2022

Signature of User Agency

Office Seal

प्रतिहस्ताक्षर

उप वन संरक्षक

जोधपुर

Counter signed by:-

Divisional Forests Officer

Jodhpur Forest Division

Office Seal_________

CIN: U40106TG2015PTC151041

Regd. Office: H No. 6-3-680/8/3, PNO-03, 2nd Floor, PMR Plaza, Thakur Mansion Lane, Somajiguda, Hyderabad, TG–500082

Tel.: +91 - 40 – 2341 2312/13/15 Fax: +91-40 2341 2314 Email: compliance.abc@brookfieldrenewable.in

Scanned with CamScanner